न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी :— रामसिंह राजावत (R.A.S.)

प्रार्थना पत्र सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
201/2019	09.07.2019	05.02.2021

1. भागमल पुत्र चन्दगी जाति जाट निवासी रामसिहपुरा तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

—: प्रार्थीगण

बनाम

1. रामसिंह पुत्र सुखलाल जाति जाट निवासी रामसिंहपुरा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
2. हुक्मसिंह पुत्र सुखलाल जाति जाट निवासी रामसिहपुरा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: असल अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

—:निर्णय:—

दिनांक :— 05.02.2021

1. **प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रहा कि :—**
   1. यह है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 487/118 रकबा 0.23 है0 वाके ग्राम रामसिहपुरा तहसील मुण्डावर में मिन प्रार्थी की कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की आराजी वो आराजी में कृषि कार्य हेतु निर्मित मकानात स्थित है।
   2. यह है कि उपरोक्त आराजी के राजस्व रिर्कोड में मिन प्रार्थी के नाम का अंकन दर्ज हो रहा है तथा मिन प्रार्थी अपने हिस्से की आराजी पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है तथा मिन प्रार्थी ने आराजी में अपने कृषि कार्य के उपकरण रखने व रिहायस करने हेतु मकानात का निर्माण किया हुआ है तथा विधुत कनैक्शन लिया हुआ है।
   3. यह है कि मिन प्रार्थी को अपनी आराजी में फसल काश्त करने हेतु व अपनी आराजी में कृषियंत्र रखने व आराजी में निर्मित बोरिंग व रिहायस हेतु निर्मित मकानात में आने जाने के लिये के लिये कोई रिर्कोडेड रास्ता नही है, रास्ता नही होने के कारण मिन प्रार्थी अपनी आराजी टैक्टर, बैलगाडी, ऊटगाडी व अन्य वाहन इत्यादि वो खेती का सामान व साधन लाने, ले जाने में असमर्थ है।
   4. यह है कि अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 की आराजी खसरा नम्बर 486/118 रकबा 0.11 है0 वाके ग्राम रामसिंहपुरा में स्थित है, जिस आराजी के तरफ पश्चिम में आम रास्ता स्थित है, तथा अप्रार्थीगण की आराजी में दक्षिण डोल ,के साथ करीब 20 फुट चौडा रास्ता स्थित है, जिस रास्ता से मिन प्रार्थी अपनी आराजी में व आराजी में निर्मित कृषियंत्र रखने व रिहायस हेतु निर्मित मकानात व काश्तकार्य हेतु आवागमन करता है, लेकिन उक्त रास्ता रिर्कोडेड रास्ता नही होने के कारण, फसल बोने के समय अप्रार्थीगण [illegible] की आवागमन नही करने देते है तथा आमादा लडाई झगडा हो जाते है इस [illegible] मिन [illegible] को 20 फुट चौडा रास्ता, अप्रार्थीगण की आराजी खसरा [illegible] डोल के साथ नया कायम किया जावे। जिस [illegible] अप्रार्थीगण की [illegible] भूमि लगती है, उसके बदले मिन प्रार्थी अपनी आराजी में से [illegible] बदले डी. एल.सी रेट की दुगना राशि देने को तैयार है।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर अनुतोष चाहा कि –

यह है कि प्रार्थना पत्र मिन प्रार्थी स्वीकार किया जाकर मिन प्रार्थी की आराजी 487/118 रकबा 0.23 है0 में कृषि कार्य हेतु व आराजी में कृषि यंत्र रखने हेतु निर्मित मकान व रिहायसी मकानात वाके ग्राम रामसिंहपुरा तक पहुचने के लिय, अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 486/118 रकबा 0.11 है0 वाके ग्राम रामसिंहपुरा तहसील मुण्डावर मे से 20 फुट चौडा रास्ता कायम कर, रास्ता घोषित किये जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करे।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:24:11 IST
Reason: SelfAttested

1. प्रार्थना पत्र दर्ज पंजिका कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। सभी अप्रार्थीगण की तामील सम्यक रूप से हुई। अप्रार्थी सं0 01, 02 की ओर से अधिवक्ता श्री जगन्नाथ यादव उपस्थित हुए। शेष अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया गया। तहसीलदार से रिपोर्ट ली जाकर प्रार्थना पत्र में सुनवाई हेतु रखा गया।
2. प्रार्थी की ओर से साक्ष्य में दस्तावेज नकल जमाबंदी सम्वत् 2064–67, जमाबंदी सम्वत् 2060–63, जमाबंदी सम्वत् 2072–75 पेश किये गये।
3. अप्रार्थीगण की ओर से कोई साक्ष्य, सबूत पेश नही किये गये।
4. तहसीलदार, मुण्डावर से मौका रिपोर्ट ली गई।
5. बहस वकूलाय सुनी गई।
6. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन व बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र पर न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–
   ग्राम रामसिंहपुरा का खसरा नम्बर 487/118 रकबा 0.23 है0 प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि है। प्रार्थी खसरा नम्बर 487/118 में आने–जाने के लिए ख0नं0 486/118 रकबा 0.11 है0 में से 20 फुट चौड़ा रास्ता चाह रहा है। खसरा नम्बर 486/118 में प्रार्थी स्वयं खातेदार नही है। ख0नं0 486/118 में पहुचने के लिए प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते के अलावा कोई विकल्प नहीं है। खसरा नम्बर 487/118 के चारो तरफ कोई कटानी सार्वजनिक रास्ता नहीं लगता है। ख0नं0 खसरा नम्बर 487 में आने–जाने के लिए एक मात्र रास्ता ख0नं0 486/118 में से ही उपलब्ध है।

   समस्त तथ्यों के अवलोकन पर पाया गया कि प्रार्थी खसरा नम्बर 487/118 आवासिय रिहायसी मकान बनाकर रह रहा है। जहां से सम्पूर्ण मौका स्थिति को देखने से पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि, प्रार्थी के लिए इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से 486/118 की दक्षिण डोल के साथ साथ 20 फुट चौडा रास्ता ही एकमात्र न्यूनतम दूरी का, व्यवहारिक व सुविधाजनक रास्ता हो सकता है।

   मौके पर प्रार्थी के खेत हेतु साधन आने–जाने का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। प्रार्थी को अपने खेत तक आने–जाने, फसल की जुताई–बुवाई–कटाई, उपज के विपणन हेतु चौपहया वाहन के आवागमन की आत्यान्तिक आवश्यकता रहती है। खसरा नम्बर 487/118 प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। जिसमें आने जाने के लिए खसरा नम्बर 486/118 की दक्षिण डोल से होकर कदीम से आता जाता है। रास्ता कटानी नहीं होने से प्रार्थी को नाजायज परेशान कर रहे है। प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी के आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। प्रार्थी खसरा नम्बर 487/118 की बारानी जाव दोयम किस्म है।

न्यायालय का यह सम्यक समाधान है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता मात्र जोत के सुविधापूर्ण उपयोग–उपभोग (Not mere convenient enjoyment of holding) के लिये नहीं है बल्कि प्रार्थी की रास्ते की आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता (Absolute Necessity) का मामला है। यह भी कि आवेदक ने अपने खेत में आने जाने एवं फसल उपज को लाने ले जाने के लिये वैकल्पिक साधन/रास्ता की अनुपलब्धता (Absence of alternative means of access) को भी साबित किया है। न्यायालय आवेदक के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाता है।

–:: आदेश ::–

न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकारं किया [illegible] ग्राम रामसिंहपुरा, तहसील मुण्डावर स्थित भूमि खसरा नम्बर 486/11[illegible] डोल के साथ साथ पूर्व – पश्चिम दिशा में भूमि लम्बाई [illegible] प्रार्थी को प्रचलित सार्वजनिक रास्ते से अपनी खातेदारी [illegible] 487/118 के [illegible] कोने तक आने जाने के लिए रास्ते के रूप में दिए जा[illegible] मुण्डावर को आदेशित किया जाता है कि उक्त रास्ते [illegible] की डी. एल.सी दर से दो गुणी राशि प्रार्थी से जमा करवाए जावे। जमा राशि को [illegible] रास्ते में आई अप्रार्थी को आई भूमि के अनुपात के अनुसार वितरण कर रास्ते की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में "गैर मुमकिन रास्ता" के रूप मे दर्ज की जावे। रास्ते को नजरी नक्शा (परिशिष्ठ A) में ए से बी तक दिखाया गया है। परिशिष्ट–ए निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। अनावेदक को सदैव के लिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किया जाता है कि प्रार्थी को उपलब्ध करवाए गए उक्त रास्ते के उपयोग, उपभोग मे किसी तरह की दखल मजाहमत, किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से, न करे, न करावे। तहसीलदार मुण्डावर रिकॉर्ड में अमल व तरमीम करे। रास्ता के सीमा चिन्ह कायम कर कब्जा प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:24:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

को सुपुर्द किया जाकर रास्ता सुचारू रूप से चालू कराया जावे। यह रास्ता समस्त प्रकार के ऋण, भार, प्रभार से मुक्त होगा। पालना हेतु तहसीलदार मुण्डावर को लिखा जावे।

5/2/21

(रामसिह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

निर्णय आज दिनांक 05.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

5/2/21

(रामसिह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:24:11 IST
Reason: SelfAttested